

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
आ दे श

क्रमांकए/121...../
(तीन-18-1/2022)

जबलपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2023


(ए) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना पर पदस्थ नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ क्रमांक-(2) में दर्शाये गये लेखापाल की पदोन्नति **उप-प्रशासनिक अधिकारी** के पद पर, सातवे वेतनमान के अंतर्गत लेवल-9 के वेतनमान रुपये 36,200-1,14,800 रुपये में की जाकर, सारिणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शायी गयी वर्तमान स्थापना से स्तंभ क्रमांक (4) में दर्शायी गयी स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त की जाती है।

क्र.	लेखापाल का नाम	कहाँ से	कहाँ को	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री हरिओम वकावले	रतलाम	कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल	रिक्त पद पर

(बी) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय तथा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापनाओं पर पदस्थ निम्नलिखित उपप्रशासनिक अधिकारियों के स्वयं के व्यय पर पारस्परिक अथवा एकल स्थानांतरण किये जाने संबंधी अभ्यावेदन विचारोपरांत **निरस्त** किये जाते हैं।

क्रमांक	उपप्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना
1	श्री इन्द्रीश कुमार मिश्र	जबलपुर
2	श्री संतोष कुमार रैकवार	रीवा
3	श्री प्रमोद कुमार प्रजापति	कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़
4	श्री रामकुमार अहिरवार	भोपाल
5	श्री राकेश विजयवर्गीय	कुटुम्ब न्यायालय, बड़वानी
6	श्री मोहनलाल शर्मा	मण्डला
7	श्री संदीप पाठक	देवास

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार


{रूपम वेदी}
रजिस्ट्रार (कार्य एवं अधोसंरचना)

//2//

//2//

पृ.क्र. ए/122/
(तीन-18-1/2022)

जबलपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2023

प्रतिलिपि :-

(1)

(1) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश; रतलाम, जबलपुर, रीवा, भोपाल, मण्डला, देवास एवं

(2) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय; बैतूल, टीकमगढ़, बड़वानी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निवेदन है कि आपकी पदस्थापना से संबंधित पदोन्नत/स्थानान्तरित कर्मचारी को उक्त आदेश की प्रति प्रदान कर अपनी पदस्थापना से इस प्रकार कार्यमुक्त कर निर्देश देवें कि वे नवीन पदस्थापना पर दिनांक 14.02.2023 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यह भी अनुरोध है कि जिन कर्मचारीगण के अभ्यावेदन निरस्त किये गये हैं, उनको भी निरस्ती की सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

यह भी अनुरोध है कि पदोन्नत/स्थानान्तरित कर्मचारी को भारमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण करने से संबंधित प्रतिवेदन रजिस्ट्री को प्रेषित करें।

(2) प्रशासनिक अधिकारी, जिला स्थापना अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।



{रूपम वेदी}

रजिस्ट्रार (कार्य एवं अधोसंरचना)

* * * * *